



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276429
CG-DL-E-23092026-276429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5025]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948

No. 5025]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

का.आ. 5232(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसरण में डॉ. यांगचान डोलमा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नामित करती है।

[फा. सं. एनसीएम-11011/3/2021-पीपी-एमओएमए]

मोहम्मद अफजल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

S.O. 5232(E).— In pursuance of sub-sections (1) and (2) of section 3 read with sub-section (1) of section 4 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby nominates Dr. Yangchan Dolma as Member of the National Commission for Minorities for a period of three years from the date she assumes office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. NCM-11011/3/2021-PP-MoMA]

MOHAMMAD AFZAL, Jt. Secy.